अध्याय-II: वित्तीय प्रबंधन

2.1 अंशदान की दरें तथा वेतन सीमा

क.भ.नि.सं. अपनी योजनाओं के प्रचालन हेतु (क) नियोक्ताओं से अंशदान (कर्मचारी के अंश सहित) तथा (ख) आवृत स्थापनाओं से प्रशासनिक प्रभार एकत्रित करता है। योजनाओं के अंतर्गत वेतन[1] के *प्रतिशत* के अनुसार अंशदान दरें हैं:

तालिका-2.1: अंशदान की दरें (वेतन के प्रतिशत में)

	अंशदान लेखा				प्रशासनिक लेखा		
	क.भ.नि.	क.पे.यो.	क.ज.सं.बी.	योग	क.भ.नि.	क.ज.सं.बी.	योग
नियोक्ता	3.67	8.33	0.5	12.5	1.10	0.01	1.11
कर्मचारी	12.00	शून्य	शून्य	12.00	शून्य	शून्य	शून्य

स्थापनाएं, जिन्हें क.भ.नि. योजना से छूट प्राप्त है, को क.भ.नि. हेतु वेतन का 0.18 *प्रतिशत* निरीक्षण प्रभार तथा क.ज.सं.बी. हेतु वेतन का 0.005 *प्रतिशत* अदा करना अपेक्षित है।

केन्द्र सरकार भी क.पें.यो. के सदस्यों के वेतन के 1.16 *प्रतिशत* का अंशदान करती है।

इस प्रकार, नियोक्ता, कर्मचारी तथा केन्द्र सरकार सभी तीन योजनाओं के अंतर्गत शामिल एक लाभभोगी हेतु अंशदान लेखे में वेतन का क्रमशः 12.5 *प्रतिशत*[2], 12 *प्रतिशत* तथा 1.16 *प्रतिशत* का अंशदान करते हैं।

क.भ.नि. योजना के अंतर्गत कर्मचारियों के आवृतन हेतु वेतन सीमा ₹ 6500 थी जो जून 2001 से चली आ रही है जो इस प्रकार इस सीमा से अधिक वेतन वाले कर्मचारियों की बड़ी संख्या को क.भ.नि. के लाभ से इंकार करता है। ई.एस.आई. अर्थात् अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना हेतु वेतन सीमा भी ₹ 15,000 थी। क.भ.नि.सं. ने बताया (दिसम्बर 2013) कि वर्तमान वेतन सीमा को बढ़ाने से संबंधित मामला मंत्रालय के साथ उठाया गया है।

---

[1] वेतन में प्रत्येक कर्मचारी को देय मूल वेतन, महंगाई भत्ता (छूट के नकद मूल्य सहित) तथा प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो, शामिल है।

[2] अस्वस्थ इकाईयों जैसी स्थापनाओं अथवा स्थापनाएं, जिन्होंने हानियाँ की है, आदि की कुछ श्रेणियों हेतु अंशदान की दर कम है।

अनुशंसा: *वेतन सीमा का नियमित अंतराल पर उपयुक्त रूप से संशोधन करें।*

2.1.1 संग्रहित अंशदान

अनुवर्ती पैराग्राफ में दिए गए निर्धारित दरों के आधार पर, अंशदान लेखे के अंतर्गत संग्रहण निम्नानुसार था:

तालिका-2.2: संग्रहित अंशदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
भविष्य निधि	14,414.01	18,782.30	23,246.60	26,558.20	32,494.40	39265.50
कर्मचारी पेंशन निधि						
I) नियोक्ता का अंश	6,710.66	8,022.46	9,320.56	9,930.52	11,587.94	13417.47
II) सरकार का अंश	1,340.00	990.00	1,167.22	994.00	1,300.00	1350.00
कुल	8,050.66	9,012.46	10,487.78	10,924.52	12,887.94	14767.47
कर्मचारी जमा संयोजित बीमा योजना						
नियोक्ता का अंशदान	250.65	308.44	368.40	423.22	480.00	566.40

2.1.2 क.पें.यो. में केन्द्र सरकार के अंश में कमी

कर्मचारी पेंशन योजना 1995 का पैरा 3 प्रावधान करता है कि केन्द्र सरकार भी वेतन के 1.16 *प्रतिशत* की दर पर अंशदान करेगी तथा अंशदान को कर्मचारी पेंशन निधि में जमा करेगी। क.भ.नि.सं. वर्ष के आरम्भ में इस संबंध में मंत्रालय को दावा प्रस्तुत करता है।

तथापि, यह पाया गया था कि 2006-07 से 2011-12 के दौरान प्रस्तुत दावों के प्रति केन्द्र सरकार से अंशदानों की प्राप्ति में निरंतर कमी थीं जैसा कि नीचे दिया गया है:-

तालिका-2.3: क.पें.यो. में केन्द्र सरकार अंश में कमी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वर्ष के आरम्भ में सरकारी अंश का बकाया	वर्ष के दौरान जोड़े गए दावे	कुल दावे	वर्ष के दौरान सरकार से प्राप्त अंशदान	अंशदान में कमी	*प्रतिशत* कमी (कॉलम $\frac{6X100}{\text{कॉलम4}}$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2006-07	870.57	934.50	1805.07	1340.00	465.07	25.76
2007-08	465.07	1117.17	1582.24	990.00	592.24	37.43
2008-09	592.24	1297.94	1890.18	1167.22	722.96	38.25

2009-10	722.96	1382.88	2105.84	994.00	1111.84	52.80
2010-11	1111.84	1613.69	2725.53	1300.00	1425.53	52.30
2011-12	1425.53	1868.46	3293.99	1350.00	1943.99	59.02

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि सरकारी अंश की प्राप्ति में कमियों की बढ़ती हुई प्रवृत्ति थी। 31 मार्च 2012 को केन्द्र सरकार से ₹ 1943.99 करोड़ की राशि बकाया थी।

क.भ.नि.सं. ने प्रारम्भ (जनवरी 2013) में बताया कि क.पें.यो.'95 एक निधिबद्ध योजना है तथा केन्द्र सरकार द्वारा किए गए अंशदान में विलम्ब का पेंशन बाध्यताओं पर कोई तुरंत प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। इसने बाद में बताया (अगस्त 2013) कि मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के अंश के बकायों के प्रति ₹ 1943.99 करोड़ की राशि की संस्वीकृति प्रेषित की थी।

प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में क.भ.नि.सं. का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अंशदान की प्राप्ति में कमी ने निवेश तथा उस पर ब्याज सहित क.पें.यो. कॉर्पस को प्रभावित किया।

अनुशंसा: *केन्द्र सरकार को समय पर क.भ.नि.सं. को अपना अंशदान प्रेषित करना चाहिए।*

2.1.3 प्रशासनिक लेखाः आय, व्यय तथा आधिक्य

क.भ.नि.सं. की मुख्य आय प्रशासनिक प्रभारों तथा निरीक्षण प्रभारों, दण्डनीय क्षतियों अथवा ब्याज तथा निवेशों पर ब्याज के माध्यम से प्राप्त होती है। योजनाओं अर्थात क.भ.नि., क.पें.यो. तथा क.ज.सं.बी. को चलाने हेतु क.भ.नि.सं. द्वारा अपनी स्थापना पर व्यय किया जाता है।

आय, व्यय तथा आधिक्य के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 2.4: आय एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	कुल आय	कुल व्यय	व्यय के अतिरिक्त आय का आधिक्य	कुल व्यय अतिरिक्त आय का आधिक्य (*प्रतिशत में*)
2006-07	1229.91	985.81	244.10	25
2007-08	1587.71	551.57	1036.14	188
2008-09	1828.65	809.66	1018.99	126
2009-10	2107.60	1115.04	992.56	89
2010-11	2509.70	1168.43	1341.27	115
2011-12	3081.50	1298.84	1782.66	137

उपरोक्त सूचना को नीचे ग्राफ के रूप में भी दर्शाया गया है:-

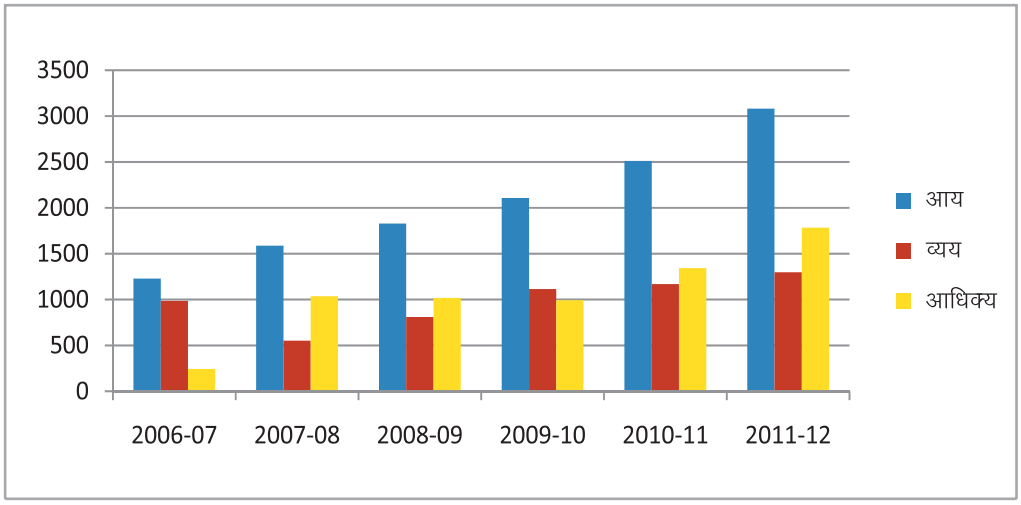

इस प्रकार, प्रशासनिक प्रभारों, आदि के माध्यम से संग्रहित क.भ.नि.सं. की आय पर्याप्त तथा संगत रूप से योजनाओं को चलाने पर हुए व्यय से अधिक रही है। 31 मार्च 2012 को, प्रशासनिक लेखे पर क.भ.नि.सं. का संचित आधिक्य ₹ 8558.08 करोड़ था।

अनुशंसा: *क.भ.नि.सं. उचित रूप से अपने प्रशासनिक प्रभारों का संशोधन करे।*

2.2 बजट

आयुक्त क.भ.नि.सं. का बजट तैयार करता है तथा पूर्वगामी वर्ष की 15 फरवरी तक के.ट्र.बो. के समक्ष प्रस्तुत करता है जिसे फिर स्वीकृति हेतु मंत्रालय को भेजा जाता है (अधिनियम की धारा 58)। सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) बजट तैयार करने पर दिशानिर्देश प्रदान करती है तथा निर्दिष्ट करती है कि बजट को उचित ध्यान से तैयार किया जाना चाहिए (सा.वि.नि., 2005 का नियम 3)।

2006-07 से 2011-12 की अवधि के दौरान बजट अनुमानों (ब.अ.), संशोधित अनुमानों (सं.अ.) तथा वास्तविक व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे दी गई है:

तालिका-2.5: बजट में आधिक्य/बचतें

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	ब.अ. एवं सं.अ. के बीच विचलन		वास्तविक व्यय*	आधिक्य (+)/ बचतें(-) (सं.अ. के संबंध में प्रतिशत)	आधिक्य (+)/ बचतें (-) *(ब.अ. के संबंध में प्रतिशत)*
			राशि	प्रतिशतता			
2006-07	733.22	1090.07	356.85	48.67	1011.37	(-) 78.70 *7.22*	(+) 278.15 *37.94*
2007-08	956.66	842.66	(-) 114.00	(-)11.92	586.25	(-) 256.41 *30.43*	(-) 370.41 *38.72*
2008-09	959.25	1027.04	67.79	7.07	819.89	(-) 207.15 *20.17*	(-) 139.36 *14.53*
2009-10	1231.67	1502.57	270.90	21.99	1125.39	(-) 377.18 *25.10*	(-)106.28 *8.63*
2010-11	1514.62	1708.61	193.99	12.81	1198.39	(-) 510.22 *29.86*	(-)316.23 *20.88*
2011-12	1761.40	1925.82	164.42	9.33	1338.33	(-) 587.49 *30.51*	(-)423.07 *24.02*

*पूंजीगत व्यय सहित

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि:

- वर्ष 2006-07 से 2011-12 के दौरान संशोधित अनुमानों के संदर्भ में 7.22 *प्रतिशत* से 30.51 *प्रतिशत* की बचत थी।

- वर्ष 2007-08 से 2011-12 के दौरान, वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से कम था तथा बजट अनुमानों के संदर्भ में बचतों की प्रतिशतता 8.63 तथा 38.72 *प्रतिशत* के बीच थी।

- वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान, यद्यपि संशोधित अनुमान बजट अनुमानों से अधिक था परंतु वास्तविक व्यय बजट अनुमानों से भी कम था।

व्यय में कमी मुख्य रूप से निम्नलिखित मुख्य शीर्षों में थीं - राजस्व, आकस्मिकताएं तथा विविध स्टाफ कल्याण निधि, सेवानिवृत्ति लाभ, कम्प्यूटरीकरण तथा पूंजीगत व्यय।

मंत्रालय में बजट की स्वीकृति की प्रक्रिया की संवीक्षा करते समय यह भी देखा गया था कि मंत्रालय ने बजट प्रस्तावों को वैसे ही स्वीकृत किया जैसे वह क.भ.नि.सं. द्वारा प्रस्तुत किया गया था अर्थात बिना किसी पर्यवेक्षण की भूमिका को पूरा किए।

इस प्रकार बजटीय प्रक्रिया में खामियां थीं।

क.भ.नि.सं. ने बजट तैयार करने की प्रक्रिया में भविष्य में सुधार हेतु अभ्युक्तियों को नोट किया (नवम्बर 2012)।

अनुशंसा: *क.भ.नि.सं., सा.वि.नि. में प्रावधानों के अनुसार उचित ध्यान सहित बजट अनुमान तैयार करे। मंत्रालय संस्वीकृति प्रदान करने से पहले पर्याप्त रूप से बजट प्रस्तावों की संवीक्षा करे।*

2.3 ब्याज उचंत लेखा

कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 का पैरा 51 प्रावधान करता है कि सभी ब्याज, किराया तथा अन्य प्राप्त आय, तथा बिक्री अथवा निवेश से निवल लाभ अथवा हानियों, यदि कोई हो, जिसमें प्रशासनिक लेखे का लेन-देन शामिल न हो, को एक लेखे जिसे ब्याज उचंत लेखा (ब्या.उ.ले.) कहा जाता है में क्रेडिट अथवा डेबिट, जैसा भी मामला हो, किया जाएगा।

लेखांकन प्रक्रिया नियमपुस्तिका के पैरा 6.1.10 के अनुसार ब्या.उ.ले. को सही प्रकार से तथा तुरंत बनाया जाना है क्योंकि कोई भी चूक/जानबूझकर की गई कार्यवाही अंशदाताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगी।

ब्या.उ.ले. केन्द्रीय कार्यालय में संचालित एक प्रोफार्मा लेखा है। ब्याज, दण्डनीय क्षतियों, आदि के कारण हुई सभी आय को ब्याज उचंत लेखा में क्रेडिट तथा अंशदाता के खाते में क्रेडिट ब्याज से संबंधित व्यय को डेबिट किया जाता है। ब्या.उ.ले. में शेष को क.भ.नि. तुलन पत्र में देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 'ब्या.उ.ले.' मे शेष मार्च 2007 में ₹ 12445.29 करोड़ से मार्च 2011 में ₹ 22461.15 करोड़ तक संगत रूप से बढ़ा।

इस प्रकार, ब्या.उ.ले. में राशि को मुख्यतः अंशदाताओं के खातों का अद्यतन न किए जाने के कारण संगत क्रेडिटों सहित नियमित तथा सामयिक प्रकार से अंशदाताओं के खाते में डेबिट नहीं किया जा रहा था। ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

तालिका-2.6: ब्याज उचंत लेखे (ब्या.उ.ले.) में शेष के विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	पिछले तुलन पत्र के अनुसार	वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	वर्ष के दौरान निपटान (क्रेडिट)की गई राशि	वर्ष के अंत में ब्या.उ.ले. में शेष
2006-07 तक	12773.96	7713.60	8042.27	12445.29
2007-08	12445.29	8988.86	8136.58	13297.57
2008-09	13297.57	10975.59	9576.30	14696.86
2009-10	14696.86	12326.95	10025.03	16998.78
2010-11	16998.78	14455.06	8992.69	22461.15
2011-12	22461.15	18531.41	23797.27	17195.29

2011-12 के दौरान ब्या.उ.ले. में शेष उस वर्ष में 16.62 करोड़ अंशदाताओं के खातों का अद्यतन करने के कारण ₹ 17195.29 करोड़ तक कम हुआ।

आगे यह पाया गया कि क.भ.नि.सं. ने ब्या.उ.ले. से देय ब्याज हेतु अंशदाताओं के खातों में ₹ 23797.27 करोड़ डाले जिसका परिणाम 31.03.2012 को ब्या.उ.ले. लेखे में अस्थायी रूप से ₹1336.12 करोड़ के ऋणात्मक शेष में हुआ।

उत्तर में, क.भ.नि.सं. ने बताया (नवम्बर 2012) कि ब्याज उचंत लेखे में वर्ष के अंत में आंकड़े प्रत्येक वर्ष बढ़ते हैं क्योंकि निवेश में कार्पस प्रत्येक वर्ष बढ़ता है।

क.भ.नि.सं. का उत्तर ब्या.उ.ले. में बढ़ते हुए शेष को उचित सिद्ध नहीं करता है जो कि अंशदाताओं के खातों का सामयिक प्रकार से अद्यतन न किए जाने के कारण है। खातों को अद्यतन न किए जाने पर पैरा 5.5 के अंतर्गत भी चर्चा की गई है।

2.4 अंशदाताओं को वार्षिक ब्याज दर

क.भ.नि. योजना, 1952 के पैराग्राफ 60(1) के अनुसार आयुक्त सदस्यों के खातों में उस दर पर ब्याज क्रेडिट करेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा के.ट्र.बो. के परामर्श से निर्धारित की गई हो।

2006-12 के दौरान क.भ.नि. कॉर्पस के अंतर्गत निवेशों पर प्राप्त तथा अंशदाताओं के खातों को क्रेडिट ब्याज निम्नानुसार है:

तालिका-2.7: प्राप्त तथा अंशदाताओं के खातों को क्रेडिट ब्याज में अंतर

वर्ष (1)	निवेश की गई राशि (₹ करोड़ में) (2)	निवेशों पर प्राप्त ब्याज (₹ करोड़ में) (3)	निवेश की गई राशि के प्रतिशत में निवेशों पर प्राप्त ब्याज (4)	अंशदाताओं के खातों को क्रेडिट वास्तविक ब्याज (₹ करोड़ में) (5)	कुल निवेशों पर ब्याज के प्रति क्रेडिट राशि का प्रतिशत (6)	प्राप्त ब्याज तथा अदा किए ब्याज के बीच अंतर (प्रतिशत में) (4)-(6) (7)	ब्याज की घोषित दर (प्रतिशत में) (8)	घोषित दर तथा प्राप्त ब्याज दर के बीच अंतर (प्रतिशत में) (8)-(4) (9)
2006-07	103837.36	7779.63	7.49	7976.24	7.68	-0.19	8.50	1.01
2007-08	121503.70	8706.88	7.17	7854.60	6.46	0.71	8.50	1.33
2008-09	142977.39	10667.43	7.46	9268.15	6.48	0.98	8.50	1.04
2009-10	168281.37	11933.88	7.09	9631.96	5.72	1.37	8.50	1.41
2010-11	201064.01	14181.90	7.05	8719.53	4.34	2.71	9.50	2.45
2011-12	237323.63	17879.95	7.53	23145.81	9.75	-2.22	8.25	0.72

इसके निवेशों पर प्राप्त ब्याज की दर तथा इसके अंशदाताओं को निवेशों पर अदायगी की प्रतिशतता के बीच अन्तर को निम्नानुसार ग्राफीय रूप में भी दर्शाया गया है:

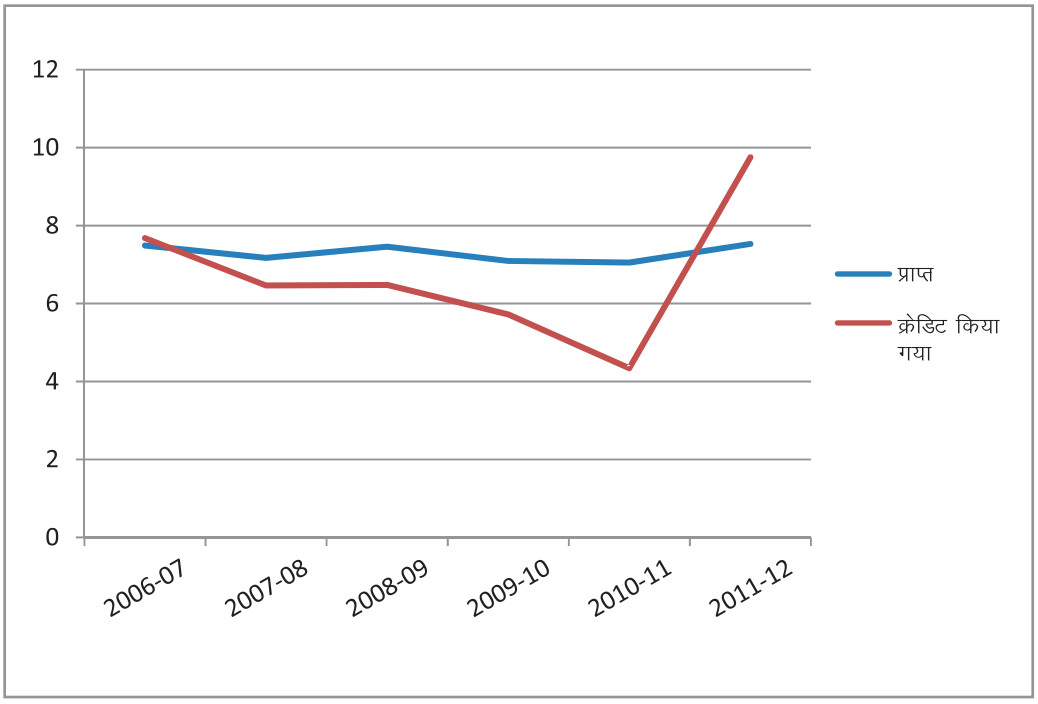

निवेशों पर प्राप्त आय तथा अंशदाताओं के खातों में क्रेडिट का *प्रतिशत* दर्शाने वाला ग्राफ

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि:

क. क.भ.नि.सं. अंशदाताओं को ब्याज के रूप में कमाई से कम राशि अदा कर रहा था जिसे वह कार्पस पर प्राप्त कर रहा है (2006-07 तथा 2011-12 को छोड़कर)। यह देखा जा सकता है कि वह अपनी योजनाओं के प्रशासन हेतु अलग से शुल्क लेता है।

ख. इसके कुल निवेशों की प्रतिशतता के रूप में अंशदाताओं का ब्याज भुगतान घटते जा रहे हैं (पिछले वर्ष को छोड़कर) यद्यपि ब्याज की घोषित दर अधिक थी। इसके अतिरिक्त, इसके निवेशों पर प्राप्त ब्याज की दर तथा अंशदाताओं को अदा की जा रही दर में कोई संगति नहीं थी, 2006-07 तथा 2011-12 हेतु भुगतान इसकी कमाई से अधिक था, शेष वर्षों हेतु यह कम रहा जो वित्तीय सावधानी के सिद्धांतों का उल्लंघन था।

ग. ब्याज की घोषित दर तथा दर, जिसे वह अपने निवेशों पर प्राप्त कर रहा था, के बीच अंतर थे।

इन तथ्यों ने दर्शाया कि क.भ.नि. कार्पस के अंतर्गत धन की कुल राशि इसके सभी अंशदाताओं के पास संचित शेष से अधिक थी तथा यह अंतर वर्षों से बढ़ रहा था। अंतर खातों के अद्यतन न किए जाने, दावा न की गई राशियों तथा पारगमन में पड़े धन, आदि के कारण हो सकता है जो इसके अंशदाताओं को अपर्याप्त सेवाओं का प्रतिबिंबक है।

क.भ.नि.सं. ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2013) कि कालम (5) में ब्याज की कुल राशि नहीं हो सकती जिसे अंशदाताओं के खातों में डाला जाना चाहिए क्योंकि कई खाते अद्यतन किए जाने हेतु बकाया हैं। उसने आगे बताया कि 2011-12 के दौरान बकाया खातों की बड़ी संख्या को एक विशेष अभियान में अद्यतन किया गया था। उसने यह भी बताया कि आगामी वर्षों में एक विशेष वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज तथा अदा किए ब्याज के आंकड़े काफी करीब होंगे।

अनुशंसाः *क.भ.नि.सं. को अपने अंशदाताओं को भुगतान किए गए ब्याज के साथ अपनी कमाई का सावधानी से मिलान करना चाहिए।*

2.5 वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेश प्रतिमान को नहीं अपनाना

वित्त मंत्रालय ने जुलाई 2003 में विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत निवेश की प्रतिशतता के साथ निवेश का प्रतिमान निर्धारित किया था। इस प्रतिमान को जनवरी 2005 में तथा फिर से अगस्त 2008 में संशोधित किया गया था।

यह देखा गया कि क.भ.नि.सं. ने वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश प्रतिमान का अनुसरण नहीं किया था। वित्त मंत्रालय ने अपने द्वारा अधिसूचित निवेश प्रतिमान को अपनाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय/क.भ.नि.सं. को निर्देश दिए थे (जुलाई 2010)

क.भ.नि.सं. ने अपने उत्तर में बताया (नवम्बर 2012) कि उसने जुलाई 2003 में मंत्रालय द्वारा निर्धारित निवेश के प्रतिमान का अनुसरण किया था। यह पाया गया था कि 2003 में भी प्रतिमान का अनुसरण नहीं हुआ था।

इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा निर्देशित निवेश प्रतिमान का अनुसरण क.भ.नि.सं. नहीं कर रहा था।

2.6 वार्षिक मूल्यांकन

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995, के पैरा 32 के अनुसार, केन्द्र सरकार अपने द्वारा नियुक्त मूल्य निर्धारक के माध्यम से कर्मचारी भविष्य निधि का वार्षिक मूल्यांकन करेगी।

वर्ष 2005-06 के लिए नियुक्त मूल्य निर्धारक ने लेखा में ₹ 95,895.00 करोड़ की कुल प्रक्षेपित देयता तथा ₹ 73,236.00 करोड़ की निधि का निर्धारण किया था इस प्रकार 31 मार्च 2006 तक ₹ 22,659.00 करोड़ के घाटा का आकलन किया गया।

वर्ष 2006-07, 2007-08 तथा 2008-09 हेतु मूल्यांकन अभ्यास, नियुक्त मूल्य निर्धारकों द्वारा किया गया था। मार्च 2007 तथा मार्च 2008 तक की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें, क.भ.नि.सं. द्वारा क्रमशः अक्तूबर 2011 तथा अगस्त 2012 में प्राप्त की गई थी। 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए मूल्य निर्धारकों को नवम्बर 2012 में नियुक्त किया गया था। प्राप्त की गई रिपोर्टें कथित तौर पर क.भ.नि.सं. के विचाराधीन थी।

इस प्रकार, (क) 2006-07 में मूल्यांकन के दौरान निधि में काफी घाटा दिखा

(ख) मूल्यांकन न तो समय से किया जा रहा है, न ही रिपोर्ट समयबद्ध रूप में प्राप्त की जा रही है, और

(ग) मूल्यांकन रिपोर्टों पर कार्रवाई में काफी विलंब हुआ है।

क.भ.नि.सं. ने बताया (अगस्त 2013) कि क.पें.यो. निधि का 31 मार्च 2009 तक का मूल्यांकन पूरा कर लिया गया था तथा 31 मार्च 2010, 2011 तथा 2012 के लिए मूल्यांकन हेतु मूल्य निर्धारक को केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त कर लिया गया था तथा मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गयी थी। क.भ.नि.सं. ने आगे बताया (अगस्त 2013) कि दिसम्बर 2012 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सूचित किया था कि क.पें.यो., 1995 के अंतर्गत पेशन लाभ में संशोधन से संबंधित अन्तर-मंत्रालयी परामर्श के पश्चात मंत्रालय ने केबिनेट सचिवालय को 12 अक्तूबर 2012 को केबिनेट सचिवालय को एक केबिनेट नोट प्रस्तुत किया तथा यह निर्णय लिया गया कि मुद्दे की जांच सचिव समिति द्वारा की जाए, और मई 2013 से मुद्दा उनके विचाराधीन है।

अनुशंसाः *सरकार को मूल्य निर्धारिकों की लंबित रिपोर्ट पर शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए तथा क.पें.यो. लेखा पर इसके प्रभाव का निर्णय करना चाहिए तथा आवश्यक सुधार लाने चाहिए।*

मूल्यांकन प्रक्रिया नियमित एवं सामयिक आधार पर प्रतिवर्ष की जानी चाहिए तथा इसके प्रभाव का उल्लेख करना चाहिए।

2.7 कर्मचारी पेंशन निधि

कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की लेखा प्रक्रिया नियमावली के पैरा 5.3.4 के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि को दिए गए केन्द्र सरकार के योगदान को भारत सरकार के लोक लेखा में रखा जाना है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, संघ सरकार लेखा में वेतन एवं लेखा कार्यालय द्वारा आवश्यक समायोजन हेतु सरकार के योगदान के अंश (तथा उस पर ब्याज हेतु) से संबंधित अनुमोदनों को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय जारी करता है। अनुमोदन की प्रतियां क.भ.नि.सं. को भी उनके वार्षिक लेखा में आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए अग्रेषित की गई हैं। इस प्रकार,कर्मचारी पेंशन निधि को सरकार के पेंशन योगदान के अंश के शेष के साथ लोक लेखा तथा क.भ.नि.सं. के लेखा में अंकित राशि के साथ मेल खाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने नोट किया कि वर्ष 2007-08 के लिए क.भ.नि.सं. के वार्षिक लेखा के अनुसार पेंशन निधि का केन्द्र सरकार के योगदान (ब्याज सहित) का अंत शेष ₹ 36,809.06 करोड़ था। जबकि, संघ सरकार वित्त लेखा में दर्शाई गई राशि

₹ 36,939.04 करोड़ थी। इस प्रकार, दोनों दस्तावेजों में ₹ 129.98 करोड़ का अंतर था।

इस विषय पर वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी टिप्पणी की गई थी, जहां पर इस विसंगति का समाधान करने के नियमित मिलान की आवश्यकता पर जोर दिया गया था।

क.भ.नि.सं. ने बताया (सितम्बर 2013) कि मंत्रालयों के निर्देशों के अनुसार, मिलान के मुद्दे को प्रधान लेखा अधिकारी, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के साथ सुलझाया जा रहा है।

***अनुशंसाः** मंत्रालय को आंकड़ों के मिलान के लिए उचित कार्रवाई करनी चाहिए।*

2.8 समिति की बैठकें

क.भ.नि.सं. की गतिविधियां एवं कार्य अधिनियम के अंतर्गत शासित हैं। क.भ.नि.सं. योजना 1952 का पैरा 11, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्षेत्रीय समितियां तथा समिति की बैठकों की न्यूनतम संख्या निर्धारित करता है। 2006-12 अवधि के दौरान हुई इन समितियों की बैठकों की वास्तविक संख्या की स्थिति नीचे दी गई हैः

तालिका2.8-क.भ.नि.सं. की समितियों की आवधिक बैठकें

समिति का नाम	समिति के मुख्य कार्य	बैठकों की निर्धारित आवृत्ति	2006-07 से 2011-12 के दौरान हुई बैठकों की वास्तविक संख्या	कमी
कार्यकारिणी समिति	केन्द्रीय बोर्ड को उसके कार्यों के निष्पादन में सहायता करना।	प्रत्येक वर्ष 4 कुल-24	4 - (2006-07) 3 - (2007-08) 4 - (2008-09) 2 - (2009-10) 3 - (2010-11) 4 - (2011-12) **कुल=20**	4
क्षेत्रीय समितियां	राज्यों में योजना का प्रशासन, भ. नि. योगदान की वसूली की प्रगति, दावों का शीघ्र निपटारा	प्रत्येक वर्ष 2 कुल- 266	28 - (2006-07) 22 - (2007-08) 22 - (2008-09) 32 - (2009-10) 36 - (2010-11) 33 - (2011-12) **कुल=173**	93

इस प्रकार, समिति की बैठकों में कमियां थी।

क.भ.नि.सं. ने स्वीकार किया (नवम्बर 2012 तथा अगस्त 2013) तथा बताया कि लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां नोट कर ली गई हैं तथा सभी संबंधित को नए निर्देश जारी कर दिए जाएंगे ।

राज्य विशिष्ट निष्कर्ष- क्षेत्रीय समिति (क्षे.स.) बैठकें

गुजरातः अगस्त 2002 में पिछली क्षे.स. का कार्यकाल समाप्त हो गया था। क्षे.स. केवल फरवरी 2011 में ही पुर्नगठित हुई थी।

महाराष्ट्र- अगस्त 2006 में पिछली क्षे. स. का कार्यकाल समाप्त हो गया था। क्षे.स. केवल दिसम्बर 2010 में गठित की गई थी।

दिल्ली- रा.रा.क्षे. दिल्ली की राज्य सरकार से नामांकन के अभाव में क्षे.स. का पुर्नगठन मई 2002 से लंबित था। इस प्रकार, 2003-04 से 2011-12 वर्षों के दौरान कोई बैठक नहीं हुई थी।

गोवा- अक्तूबर 2008 में क्षे.स. का कार्यकाल समाप्त हो गया था तथा नई क्षे.स. का पुनर्गठन केवल नवम्बर 2010 में ही हुआ था। इस प्रकार, 2008-09 से 2011-12 तक के वर्षों के दौरान कोई बैठक नहीं हुई थी।

अनुशंसाः *निर्धारित मानदंडों के अनुसार समिति की बैठकें न्यूनतम संख्या में होनी चाहिए।*